AN HON. MEMBER: Proper answers also should come. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I made this suggestion last time. If twice a Member is absent, I think, I should not allow him.

(*Interruptions*)

SHRI BIJU PATNAIK: Similarly, if a Minister does not answer a question twice, he should also be blacklisted.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Those of us who are regular should get the first preference in the balloting.

MR. SPEAKER: Sure.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: We should be rewarded.

MR. SPEAKER: Then it will be nepotism.
Mr. Gamit.

Gas based petroleum and chemical units in Maharashtra and Gujarat

†

*299. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT:

SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have now finally agreed to implement the first gas based petroleum and chemical units in Maharashtra;

(b) if so, whether the final decision in regard to setting up of a project in Gujarat has been taken;

(c) if not, what are the main reasons for the same; and

(d) when the work on both the projects is likely to start?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, a gas based petrochemical project will be set up in Gujarat.

(c) Does not arise.

(d) Details are being worked out. It is anticipated that work on these projects will commence in the financial year 1981-82.

श्री छीतूभाई गामित : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि गुजरात में पेट्रोकेमिकल यूनिट शुरू करने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है लेकिन गुजरात सरकार ने पेट्रो केमिकल यूनिट स्टेट सेक्टर में शुरू करने की इजाजत मांगी है तो क्या इस यूनिट को स्टेट सेक्टर में शुरू करने की इजाजत दी जायेगी या भारत सरकार की ओर से इसको शुरू किया जाएगा—इस बात को मैं जानना चाहता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में बात चीत हो रही है कि इसको स्टेट सेक्टर में रखा जाए या सेन्टर के साथ ज्वाइन्ट सेक्टर में रखा जाए ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने तो मांग की है कि इसको स्टेट सेक्टर में रखा जाए और उन्होंने खत भी लिखा है फिर और क्या बातचीत करना बाकी रह गया है—यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह दोनों कांप्लेक्सेज जो हैं महाराष्ट्र और गुजरात के—महाराष्ट्र का कांप्लेक्स करीब 890 करोड़ का है और इसी तरह से गुजरात का कांप्लेक्स करीब करीब 900 करोड़ का है—इसमें टेक्निकल नो-हाऊ का प्रश्न है और चूंकि केन्द्रीय सरकार के पास

यह जानकारी है और कुछ रुपया लगाने की स्थिति में भी है इसलिए उनसे बातचीत जारी है कि इसको केवल स्टेट सेक्टर में रखा जाए या ज्वायन्ट सेक्टर में रखा जाए ।

Mismangement of M|s. Parle Group of Companies

†

*302. SHRI DHRAM DAS SHASTRI:

SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that there are certain complaints about mismanagement and irregularities in M|s. Parle Group of Companies, Bombay;

(b) whether the investigations has established the allegations against some persons;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether any action has been taken by Government against the persons involved and if so, with what results; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No complaints have been received about mismangement and irregularities in Parle Group of Companies.

(b) Neither any investigation nor inspection under the provisions of the Companies Act, 1956, has been carried out in respect of any of the Parle Group of companies.

(c) to (e). Do not arise.

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से बड़े सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि इसी पारले ग्रुप ने एक्साइज ड्यूटी में चोरी की है—30 करोड़ रु० की । इसके साथ साथ फारेन एक्सचेंज में 3 लाख 15 हजार 424 रु० का घोटाला किया । जब 6 मार्च को सवाल किया गया था तो बताया गया कि इन्होंने मशीन्स को एक्चुअल यूजर के रूप में इम्पोर्ट किया और बेच दिया—इस तरह के घोटाले सदन के सामने पेश हुए और साबित हो गए हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि कम्पनी एक्ट के सैक्शन—235 और 237 में मांडलीगेटरी फंक्शन बन जाता है कि जब इस तरह के घोटाले सदन के सामने आ गए, तो कम्पनी ला मिनिस्टरी पूरी तरह से इसकी जांच करे और जांच करके उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले, खाली क्वेश्चन डज नाट अराइज कह देने से छूट नहीं मिल सकती है ।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, फर्ज कर लीजिए कि गड़बड़ हुई है—फारेन एक्सचेंज या मशीन आदि से हुई है, लेकिन यह मुझ से संबंधित बात नहीं है । लेकिन जहां तक कम्पनी एक्ट का सवाल है, उसका इन्सपैक्शन या इन्वैस्टीगेशन 209 के तहत और 237 के तहत किया जाता है । 6 तारीख की जो बात है, उस क्वेश्चन का जवाब कार्पोरेट मिनिस्ट्री ने ठीक से दिया है । अभी अगर ये साफ तरीके से हमारे सामने मामले को लाते हैं तो काफी घोटाले हैं, तो फिर देखा जा सकता है । इस तरह से घोटाले बोलने से घोटाला समझा नहीं जा सकता है ।